कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in ☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0बजट–17/2019–360 दिनांक : 29/6/22

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल/ गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल/ गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ गोड्डा वन प्रमण्डल/ देवघर वन प्रमण्डल/ चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल/ चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ कोडरमा वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल/ गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल/ गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल/ रामगढ़ वन प्रमण्डल/ बोकारो वन प्रमण्डल/ धनबाद वन प्रमण्डल/ जमशेदपुर वन प्रमण्डल/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर/सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण, अवकृष्ट वनों का पुनर्वास, शीघ्र बढ़ने वाले पौधा का रोपण एवं नदियों के उद्गम स्थल पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) हेतु कुल **रू0 355.761 लाख (तीन करोड़ पचपन लाख छिहत्तर हजार एक सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–28/2019–08/स्वी0 व0प0 दिनांक 18.06.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0ब0–32/2020–3/आ0 व0प0 दिनांक 23.06.2022।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–58–अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 355.761 लाख (तीन करोड़ पचपन लाख छिहत्तर हजार एक सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060178958010103	317.368
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060178958010323	38.393
कुल :–		**355.761**

E:\ANIL\2022-23\Allotment\SCSP\Soil Conservation & Afforestation\S.O. 08 dt 18.06.2019 (6)4rd year.doc

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1 (क) से 1 (घ)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2 (क) से 2 (ग)** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S24060178958010103, 19S24060178958010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/DBT/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

7. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगें।

8. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरुप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरुप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।

15. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

16. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते है उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेगें।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्मपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ–साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड़ भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(V) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ–साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VI) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बडी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेगें तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(VIII) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की ज़ानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरुप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

(IX) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(X) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XI) श्रोत पर (At source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

19. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–17/2019**–360 दिनांक–29/6/22

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/ संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/ दुमका/ हजारीबाग/ बोकारो/ जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/ गढ़वा/ दुमका/ देवघर/ चतरा/ हजारीबाग/गिरिडीह/ बोकारो/जमशेदपुर/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–17/2019**–360 दिनांक–29/6/22

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/ गढ़वा/ गोड्डा/ देवघर/ चतरा/ कोडरमा/ हजारीबाग/ गिरिडीह/ रामगढ़/ बोकारो/ धनबाद/ जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

E:\ANIL\2022-23\Allotment\SCSP\Soil Conservation & Afforestation\S.O. 08 dt 18.06.2019 (6)3rd year.doc

अनुलग्नक–1 (क)

वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे0) का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			12475.86	**1590.00**	**14065.86**
i	ii	iii	iv	v	vi
1	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल	130.00	16.219	2.067	18.286
2	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल	50.00	6.238	0.795	7.033
3	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल	50.00	6.238	0.795	7.033
4	गोड्डा वन प्रमण्डल	50.00	6.238	0.795	7.033
5	देवघर वन प्रमण्डल	50.00	6.238	0.795	7.033
6	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल	150.00	18.714	2.385	21.099
7	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	150.00	18.714	2.385	21.099
8	कोडरमा वन प्रमण्डल	20.00	2.495	0.318	2.813
9	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	50.00	6.238	0.795	7.033
10	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	100.00	12.476	1.590	14.066
11	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल	150.00	18.714	2.385	21.099
12	सा0वा0 प्रमण्डल, देवघर	50.00	6.238	0.795	7.033
13	सा0वा0 प्रमण्डल, कोडरमा	100.00	12.475	1.590	14.065
14	सा0वा0 प्रमण्डल, हजारीबाग	100.00	12.475	1.590	14.065
15	सा0वा0 प्रमण्डल, गढ़वा	100.00	12.475	1.590	14.065
योग :–		**1300.00**	**162.185**	**20.670**	**182.855**

अनुलग्नक–1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हे0) का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			9207.36	**961.00**	**10168.36**
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गोड्डा वन प्रमण्डल	100.00	9.207	0.961	10.168
2	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	150.00	13.811	1.442	15.253
3	कोडरमा वन प्रमण्डल	30.00	2.762	0.288	3.050
4	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	50.00	4.604	0.481	5.084
5	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	100.00	9.207	0.961	10.168
6	रामगढ़ वन प्रमण्डल	50.00	4.604	0.481	5.085
7	बोकारो वन प्रमण्डल	100.00	9.207	0.961	10.168

8	सा0वा0 प्रमण्डल, देवघर	50.00	4.604	0.481	5.085
9	सा0वा0 प्रमण्डल, कोडरमा	100.00	9.207	0.961	10.168
10	सा0वा0 प्रमण्डल, हजारीबाग	100.00	9.207	0.960	10.167
11	सा0वा0 प्रमण्डल, गढ़वा	100.00	9.207	0.960	10.167
	योग :—	**930.00**	**85.627**	**8.937**	**94.564**

अनुलग्नक–1 (ग)

वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हे0) का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			17051.76	**2138.00**	**19189.76**
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गोड्डा वन प्रमण्डल	50.00	8.526	1.069	9.595
2	देवघर वन प्रमण्डल	50.00	8.526	1.069	9.595
3	जमशेदपुर वन प्रमण्डल	50.00	8.526	1.069	9.595
4	कोडरमा वन प्रमण्डल	25.00	4.263	0.535	4.798
5	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	50.00	8.525	1.069	9.594
	योग :—	**225.00**	**38.366**	**4.811**	**43.177**

अनुलग्नक–1 (घ)

वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत नदियों के उदगम स्थल पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे0) का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			12475.86	**1590.00**	**14065.86**
i	ii	iii	iv	v	vi
1	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल	100.00	12.476	1.590	14.066
2	बोकारो वन प्रमण्डल	50.00	6.238	0.795	7.033
3	रामगढ़ वन प्रमण्डल	50.00	6.238	0.795	7.033
4	धनबाद वन प्रमण्डल	50.00	6.238	0.795	7.033
	योग :—	**250.00**	**31.190**	**3.975**	**35.165**
	सकल योग :—	**2705.00**	**317.368**	**38.393**	**355.761**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

E:\ANIL\2022-23\Allotment\SCSP\Soil Conservartion & Afforestation\S.O. 08 dt 18.06.2019 (6)\4rd year

अनुलग्नक–2 (क)

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे0)

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1666

पौधों की दूरी : (3m x 2m) मजदूरी दर : 326.85 प्रति मानव दिवस

क्र0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू० में)	सामग्री (रू० में)	कुल व्यय (रू० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)						
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	हे0	23.00	7517.55	0.00	7517.55	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1300.00	1300.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	स्थल	12.17	3977.76	0.00	3977.76	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0	3.00	980.55	290.00	1270.55	
	योग–		**38.17**	**12475.86**	**1590.00**	**14065.86**	

अनुलग्नक–2 (ख)

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास वृक्षारोपण (1000 पौधा प्रति हे0)

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1000 पौधे मजदूरी दर : 326.85 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3m x 3m अथवा 2m x 2m अथवा 3m x 2m (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)						
1	एक कोड़नी–निकौनी	हे0	14.00	4575.90	0.00	4575.90	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे0	0.00	0.00	785.00	785.00	
3	पौधों की सुरक्षा		12.17	3977.76		3977.76	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0	2.00	653.70	176.00	829.70	
योग :–			**28.17**	**9207.36**	**961.00**	**10168.36**	

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हे0)

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मी0 **X** 2 मी0

मजदूरी दर : 326.85 प्रति मानव दिवस

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)						
1	एक कोड़नी–निकौनी	हे0	35.00	11439.75	0.00	11439.75	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0 / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे0	0.00	0.00	1962.50	1962.50	
3	पौधों की सुरक्षा		12.17	3977.76		3977.76	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0	5.00	1634.25	176.00	1810.25	
	योग :–		**52.17**	**17051.76**	**2138.50**	**19190.26**	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-17/2019/360 दिनांक - 29-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33067	PLMFOR070 SAUMITRA SHUKLA IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. 03 - मजदूरी	1,621,900.00 रुपये सोलह लाख इक्कीस हजार नौ सौ
2	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33068	GRHFWL001 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O. NORTH DIV. GARHWA 03 - मजदूरी	623,800.00 रुपये छः लाख तेइस हजार आठ सौ
3	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33069	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 03 - मजदूरी	623,800.00 रुपये छः लाख तेइस हजार आठ सौ

योग: 2,869,500.00

क्रमिक योग: रुपये अठाइस लाख उनहत्तर हजार पॉच सौ

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND
RANCH

Run Date: 29/6/2022

पत्र संख्या - 01/YB-17/2019/360 दिनांक - 29-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33070	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION 03 - मजदूरी	2,397,100.00 रुपये तेइस लाख सित्तानवे हजार एक सौ
5	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33071	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 03 - मजदूरी	1,476,400.00 रुपये चौदह लाख छहत्तर हजार चार सौ
6	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33072	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 03 - मजदूरी	1,871,400.00 रुपये अठारह लाख इकहत्तर हजार चार सौ

योग: रुपये छियासी लाख चौदह हजार चार सौ 5,744,900.00

क्रमिक योग: 8,614,400.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 Run Date: 29/6/2022

पत्र संख्या - 01/YB-17/2019/360 दिनांक - 29-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सोस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33073	CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 03 - मजदरी	3,252,500.00 रुपये बत्तीस लाख बावन हजार पाँच सौ
8	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33075	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 03 - मजदरी	952,000.00 रुपये नौ लाख बावन हजार
9	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33077	HZBFWL009 SOURAV CHANDRA DIV. FOREST OFFICE EAST 03 - मजदरी	1,084,200.00 रुपये दस लाख चौरासी हजार दो सौ

योग: 5,288,700.00

रुपये एक करोड उनचालीस लाख तीन हजार एक सौ

क्रमिक योग: 13,903,100.00

(NAND KISHORE SINGH)
Addl. PCCF DEV. JHARKHAND
RANCHI

 Run Date: 29/6/2022

पत्र संख्या - 01/YB-17/2019/360 दिनांक - 29-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33080	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 03 - मजदरी	3,020,800.00 रुपये तीस लाख बीस हजार आठ सौ
11	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33081	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 03 - मजदरी	1,871,400.00 रुपये अठारह लाख इकहत्तर हजार चार सौ
12	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33082	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 03 - मजदरी	1,247,600.00 रुपये बारह लाख सैतालीस हजार छः सौ

योग: रुपये दो करोड बयालीस हजार नौ सौ 6,139,800.00

क्रमिक योग: 20,042,900.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCH

 Run Date: 29/6/2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33085	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE 03 - मजदूरी	1,084,200.00 रुपये दस लाख चौरासी हजार दो सौ
14	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33087	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 03 - मजदूरी	1,544,500.00 रुपये पंद्रह लाख चवालीस हजार पॉच सौ
15	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33088	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	623,800.00 रुपये छः लाख तेइस हजार आठ सौ

योग: रुपये दो करोड बत्तीस लाख पिनचानवे हजार चार सौ — 3,252,500.00

क्रमिक योग: 23,295,400.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 29/6/2022

पत्र संख्या - 01/YB-17/2019/360 दिनांक - 29-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33091	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 03 - मजदूरी	852,600.00 रुपये आठ लाख बावन हजार छः सौ
17	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33093	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR 03 - मजदूरी	1,084,200.00 रुपये दस लाख चौरासी हजार दो सौ
18	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33096	KDMFORA02 MAHALING D.F.O (S.F.) KODERM/ 03 - मजदूरी	2,168,200.00 रुपये इक्कीस लाख अडसठ हजार दो सौ

योग: रुपये दो करोड चौहत्तर लाख चार सौ 4,105,000.00

क्रमिक योग: 27,400,400.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 29/6/2022

पत्र संख्या - 01/YB-17/2019/360 दिनांक - 29-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33098	HZBFWL007 VIKAS PALIWAL D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG 03 - मजदूरी	2,168,200.00 रुपये इक्कीस लाख अडसठ हजार दो सौ
20	S 19 24060178958010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33102	GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 03 - मजदूरी	2,168,200.00 रुपये इक्कीस लाख अडसठ हजार दो सौ
21	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33105	PLMFOR070 SAUMITRA SHUKLA IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	206,700.00 रुपये दो लाख छः हजार सात सौ

योग: रुपये तीन करोड उन्नीस लाख तीरयालीस हजार पाँच सौ 4,543,100.00

क्रमिक योग: 31,943,500.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 29/6/2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33106	GRHFWL001 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O. NORTH DIV. GARHWA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	79,500.00 रुपये उन्नासी हजार पॉच सौ
23	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33108	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	79,500.00 रुपये उन्नासी हजार पॉच सौ
24	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33109	GDDFOR164 PATRUNI RAJENDRA NAIDU DFO GODDA FOREST DIVISION 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	282,500.00 रुपये दो लाख बयासी हजार पॉच सौ

योग: 441,500.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड तेइस लाख पिचयासी हजार 32,385,000.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV.JHARKHAND
RANCHI

पत्र संख्या - 01/YB-17/2019/360 दिनांक - 29-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33110	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	186,400.00 रुपये एक लाख छियासी हजार चार सौ
26	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33112	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	238,500.00 रुपये दो लाख अडतीस हजार पॉच सौ
27	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33113	CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	382,700.00 रुपये तीन लाख बयासी हजार सात सौ

योग: 807,600.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड इकतीस लाख बयानवे हजार छः सौ 33,192,600.00

(NAND KISHORE SINGH)
PCCF DEV JHARKHAND
RANCH

Run Date: 29/6/2022

पत्र संख्या - 01/YB-17/2019/360 दिनांक - 29-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33114	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	114,100.00 रुपये एक लाख चौदह हजार एक सौ
29	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33116	HZBFWL009 SOURAV CHANDRA DIV. FOREST OFFICE EAST 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	127,600.00 रुपये एक लाख सत्ताइस हजार छः सौ
30	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33117	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	362,000.00 रुपये तीन लाख बासठ हजार

योग: 603,700.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड सैतीस लाख छ्यानवे हजार तीन सौ 33,796,300.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 Run Date: 29/6/2022

पत्र संख्या - 01/YB-17/2019/360 दिनांक - 29-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33119	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	238,500.00 रुपये दो लाख अडतीस हजार पाँच सौ
32	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33122	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	159,000.00 रुपये एक लाख उनसठ हजार
33	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33123	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICEI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	127,600.00 रुपये एक लाख सत्ताइस हजार छः सौ

योग: 525,100.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड तीरयालीस लाख इक्कीस हजार चार सौ 34,321,400.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 29/6/2022

पत्र संख्या - 01/YB-17/2019/360 दिनांक - 29-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
34	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33124	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	175,600.00 रुपये एक लाख पचहत्तर हजार छ: सौ
35	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33126	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	79,500.00 रुपये उन्नासी हजार पॉच सौ
36	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33131	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	106,900.00 रुपये एक लाख छ: हजार नौ सौ

योग: 362,000.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड छयालीस लाख तिरयासी हजार चार सौ 34,683,400.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV.JHARKHAND
RANCHI

 117.252.185.127 Run Date: 29/6/2022

पत्र संख्या - 01/YB-17/2019/360 दिनांक - 29-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
37	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33133	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	127,600.00 रुपये एक लाख सत्ताइस हजार छः सौ
38	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33135	KDMFORA02 MAHALING D.F.O (S.F.) KODERM/ 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	255,100.00 रुपये दो लाख पचपन हजार एक सौ
39	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33136	HZBFWL007 VIKAS PALIWAL D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	255,000.00 रुपये दो लाख पचपन हजार

योग: 637,700.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड तीरपन लाख इक्कीस हजार एक सौ 35,321,100.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 Run Date: 29/6/2022

पत्र संख्या - 01/YB-17/2019/360 दिनांक - 29-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
40	S 19 24060178958010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	33138	GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	255,000.00 रुपये दो लाख पचपन हजार

State Scheme : NA
Centeral Scheme : NA

योग: 255,000.00

क्रमिक योग: रुपये तीन करोड पचपन लाख छहत्तर हजार एक सौ 35,576,100.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCH

Run Date: 29/6/2022